

## ब्रूसेलोसिस

ब्रूसेलोसिस गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शूकर, क्षान, ऊंट और घोड़ों में ब्रूसेला जाति के जीवाणुओं से होने वाला एक संक्रामक रोग है। संक्रमित पशुओं और वस्तुओं से यह मनुष्यों में भी फैल सकता है। पशु चिकित्सकों, पशु, भेड़ और बकरीयों पालकों, कसाई एवं मास विक्रेता आदि के ब्रूसेल्ला से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है।

### पशुओं में रोग का प्रसार

- संदूषित चारे एवं पानी के सेवन से
- आँखों एवं त्वचा के ब्रूसेला जीवाणु के संपर्क में आने से
- संक्रमित वीर्य से कृत्रिम गर्भधान करने पर
- संक्रमित सांड से प्रजनन करने से



### पशुओं में रोग के लक्षण

- यौन अंगों से सफेद स्राव का आना
- गर्भवती पशुओं में गर्भकाल के अंतिम तिमाही में गर्भपात होना
- गर्भपात के बाद खेड़ी का गर्भाशय से बाहर न आना
- जोड़ों में सूजन व दर्द होना

### रोग का नियंत्रण

- नजदीकी पशु प्रयोगशाला में साल में एक बार स्वस्थ पशुओं की इस रोग की जांच करवाना चाहिए
- ब्रूसेला मुक्त प्रमाणित वीर्य से ही कृत्रिम गर्भधान करना चाहिए
- गर्भपात होने पर भ्रूण, मांस, स्राव आदि को बेड़ों से दूर ले जाकर जलाना या गाड़ देना चाहिए
- गोशाला एवं गर्भपात हुई जगह को विसंक्रामकों से स्वच्छ करना चाहिए
- रोग मुक्त बेड़ों से ही पशुओं को खरीदना चाहिए
- ब्रूसेलोसिस के संदेह होने पर दूध एवं खून की जांच करवाना चाहिए अथवा साल में दो बार दूध का ब्रूसेला परीक्षण करवाना चाहिए

### टीकाकरण

- 4 से 8 महीने के मादा बछड़ों को ब्रूसेलोसिस का टीका लगाए
- एक बार का टीकाकरण पशुओं को 3 से 5 वर्ष तक रोग प्रतिरोधक क्षमता देने के लिये पर्याप्त होता है।
- **अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें**



### टीकाकरण कराते समय ध्यान देने वाली बातें

- नर बछड़ो का टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए
- गर्भवती गाय एवं भैंसों को टीका नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना होती है
- टीकाकरण करनेवाले व्यक्ति तथा टीके के संपर्क पर आनेवाले लोगों को अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

\*\*\*\*\*

### संकलित और संपादित

डॉ. राजेश्वरी सोम, डॉ. अवधेश प्रजापति, डॉ. योगीशराध्या आर., डॉ. एम. नागालिंगम, डॉ. जी. एस. देसाई, डॉ. जी. गोविन्दराज

**प्रकाशक**  
**निदेशक**

भाकृअनुप- राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान, पोस्ट बॉक्स-6450, यलहंका, बेंगलुरु-560064, कर्नाटक  
फोन: 080-23093110, 23093111 फैक्स: 080- 23093222, वेबसाईट: [www.nivedi.res.in](http://www.nivedi.res.in), ईमेल: [director.nivedi@icar.gov.in](mailto:director.nivedi@icar.gov.in)